

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 5 सितंबर, 2016

का.आ. 2866(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 सितंबर, 2016 को वह तारीख नियुक्त करती है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 124, धारा 125 की उपधारा (1) से (4), (6) [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि के प्रशासन की रीति के संबंध में] और उपधारा (8) से (11) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 5/27/2013-आईईपीएफ (पार्ट)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2016

**S.O. 2866(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints 7th September, 2016 as the date on which the provisions of section 124, sub-sections (1) to (4), (6) [with respect to the manner of administration of the Investor Education and Protection Fund] and (8) to (11) of section 125 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2013-IEPF (Part)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.